कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 14(एनएच)2012/एफसीए/प्रमुवसं/ दिनांकः

मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर ।

विषयः— डायवर्सन ऑफ फॉरेस्ट लैण्ड 0.745 है0 फोर वाईडेनिंग एण्ड स्ट्रैंथनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग हाईवे सेक्शन टू 2 लेन विथ पेव्ड शोल्डर फ्रोम किमी. 0.000 (भीम एट किमी. 109.750 ऑफ एनएच—8) टू किमी. 69.267 (गुलाबपुरा एट किमी. 67.200 ऑफ एनएच—79) ऑफ एनएच 148 डी इन दी स्टेट ऑफ राजस्थान।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत उप वन संरक्षक(केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 8 बी/राज/06/14/2013/एफसी/929 दि. 21.10.15 एंव शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान जयपुर ने अपने पत्रांक एफ 1 (24) वन/2013 दिनांक 9.12.15 से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.745 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन एंव 120 वृक्षों के पातन हेतु कुछ शर्तोंधीन विधिवत स्वीकृति प्रदान की है। अतः निम्नांकित शर्तोंधीन सम्बन्धित विभाग/संस्था को वन भूमि के उपयोग की अनुमति दे दी जावे। साथ ही पालना प्रतिवेदन एवं मोनेटरिंग रिपोर्ट भिजवाई जाएः—

1. भारत सरकार एवं राज्य सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्रों में अंकित समस्त शर्तों की कड़ाई से पालना की जावे।
2. मुख्य वन संरक्षक स्तर पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना का प्रबोधन निरंतर किया जावे।
3. मुख्य वन संरक्षक के क्षैत्र से संबंधित समस्त स्वीकृतियों का पृथक से एक रजिस्टर संधारित किया जावें ।

भवदीय,

sd/

संलग्नः—उक्तानुसार ।

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए.,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ 14(एनएच)2012/एफसीए/प्रमुवसं/ 7325-28 दिनांकः 14.12.15

प्रतिलिपि निम्न को भारत सरकार/राज्य सरकार के उक्त पत्रों की प्रतियां सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक एफ 1 (24) वन/2013 दिनांक 9.12.15 के क्रम में ।
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्थान, जयपुर को प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक एवं विधिवत स्वीकृतियों की प्रतियां एवं राज्य सरकार के पत्र दि. 9.12.15 की प्रति प्रेषित कर लेख है कि राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त सं. 2 की पालना अपने स्तर से करने का कष्ट करे।
3. उप वन संरक्षक, राजसमंद को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त के साथ—साथ स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्न निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करें:—
   (i) मण्डल से संबंधित समस्त प्राप्त स्वीकृतियों के सम्बन्ध में पृथक से एक रजिस्टर में सूचना संधारित की जावे।
4. परियोजना निदेशक,भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई—अजमेर, म. नं. 104, आदर्शनगर, अजमेर— 305001

संलग्नः—उक्तानुसार ।

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए.,
राजस्थान, जयपुर।

E/: Office documents/ final project

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज,
लखनऊ–226024
टेलीफैक्स–0522–2326696

पत्र सं0 8बी/राज0/06/14/2013/एफ.सी. /1197

दिनॉक: 11.10.2013

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन, जयपुर ।

विषय : **Diversion of forest land 0.783 ha. for widening and strengthening of Existing Highway Section to 2-Lane with Paved Shoulder from Km 0.000 (Bheem at Km. 109.750 of NH-8) to Km. 69.267 (Gulabpura at Km. 67.200 of NH- 79) of NH- 148D in the State of Rajasthan**

सन्दर्भ: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान के पत्रांक– एफ 14(एन0एच0)/2011/वसु/प्रमुवसं/8489, दिनांक– 13.09.2013

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, राजस्थान का पत्रांक प01(24)वन/2013, दिनॉक: 26.04.2013 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मॉगी गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 28.05.2013 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार Widening and Strengthening of Existing Highway Section to 2-Lane with Paved Shoulder from Km 0.000 (Bheem at Km. 109.750 of NH-8) to Km. 69.267 (Gulabpura at Km. 67.200 of NH- 79) of NH- 148D in the State of Rajasthan हेतु 0.783 हे0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 120 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वृक्षों के दस गुने अर्थात् 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर शहर को छोड़ते हुए 2–3 पंक्ति में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं केन्द्रीय विभाजक पट्टी में झाड़ीदार वृक्षों का वृक्षारोपण एवं उसका 10 वर्षो तक खरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।

3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566/पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं0 एफ0एन0. 5–3/2007/एफ0सी दिनांक 05.02.2009 दिशानिर्देश में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

4. भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या सी0ए0–1581, कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 मे जमा कराया जाये।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

6. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर प्रस्तावित वन क्षेत्र का बाउन्ड्री पीलर द्वारा सीमांकन किया जायेगा जिसका अक्षांष एवं देषान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्षाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक पीलर के आगे एवं पीछे उनकी दिषा भी लिखनी होगी। इसकी जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् ही विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधिया

प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपकम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 मे जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्वार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण, कैचमैन्ट ऐरिया ट्रीटमेन्ट प्लान (कैट प्लान), मार्ग/प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

8. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक– 11-9/98-FC, Dated- 08-07-2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू–संदर्भित डिजीटल डाटा /मानचित्र प्रस्तुत करें जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा ,णैचद्ध फाइल में दर्शाया गया हो।

9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवष्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा एवं प्रस्तावित वृक्षों के पातन के अतिरिक्त अन्य किसी भी वृक्ष का पातन नही किया जाएगा।

10. प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्ररतावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही होते हैं।

11. यदि पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हो तो पर्यावरणीय स्वीकृति ली जाए।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाय। प्रयोक्ता अभिकरण को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक कार्यान्वित नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते ।

भवदीया,

(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अति0 वनमहानिदेशक (एफ.सी)., पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन, वानिकी पथ, जयपुर, राजस्थान ।
3. वन संरक्षक, उदयपुर, राजस्थान।
4. उप वन संरक्षक, राजसमंद, राजस्थान।
5. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कियान्वयन ईकाई, ब्यावर, अजमेर, राजस्थान।
6. आदेश पत्रावली ।

14/10/13
(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/राज0/06/14/2013/एफ.सी. /929

दिनॉकः 21-10-15

सेवा में,

प्रमुख सचिव {वन},
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर ।

विषय : **Diversion of forest land 0.783 ha. for widening and strengthening of Existing Highway Section to 2-Lane with Paved Shoulder from Km 0.000 (Bheem at Km. 109.750 of NH-8) to Km. 69.267 (Gulabpura at Km. 67.200 of NH- 79) of NH-148D in the State of Rajasthan**

संदर्भ–अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर का पत्रांक– एफ14()2012/वसु/प्रमवसं/5170, दिनांक–07.08.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, राजस्थान का पत्रांक प01(24)वन/2013, दिनॉकः 26.04.2013 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसख्यक पत्र दिनांक– 11.10.2013 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं दिनांक– 02.04.2014 द्वारा संशोधन जारी किया गया था। जिसकी अनुपालन आख्या अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार उपरोक्त विषयांकित परियोजना में प्रस्तावित वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 120 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती हैः–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।

2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वृक्षों के दस गुने अर्थात् 1200 वृक्षों (120x10=1200 tree) का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण इस स्वीकृति के जारी होने के 1 वर्ष के भीतर करना होगा।

3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर शहर को छोड़ते हुए 2–3 पंक्ति में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण इस स्वीकृति के जारी होने के 1 वर्ष के भीतर करना होगा।

4. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

5. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।

275

6. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

9. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

10. प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4फीट उंचे आर0सी0सी0 पीलर का किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक,डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward Bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। यह कार्य प्रयोक्ता अभिकरण को विधिवत् स्वीकृति जारी होने के तीन माह के भीतर पूर्ण करना होगा एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को भी दी जाएगी।

11. प्रयोक्ता अभिकरण को यदि आवश्यक हो तो उक्त परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

12. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

13. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक, आर0ओ0एच0क्यू0, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण),वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर, राजस्थान--302005 को सूचनार्थ।
4. उप वन संरक्षक, राजसमंद, राजस्थान।
5. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कियान्वयन ईकाई, ब्यावर, अजमेर, राजस्थान।
6. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली ।

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

277

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF FORESTS

No.F.1(24) Forest/2013 Jaipur, dated: 09-12-2015

ORDER

Ministry of Environment, Forest & Climate Change, GOI Regional Office, Lucknow vide letter No. F.No.8B/Raj/06/14/2013/FC/929 dated 21.10.2015 has conveyed its approval for diversion of 0.783 ha. forest land felling of 120 trees in district Rajsamand for Widening and strengthening of Existing Highway Section to 2-Lane with Paved Shoulder from Km 0.000 (Bheem at Km. 109.750 of Nh-8) to Km. 69.267 (Gulabpura at Km 67.200 of NH-79) of NH-148D in the state of Rajasthan. In pursuance of the above clearance by Govt. of India, State Government hereby accords approval under Section 2 of the Forest (Conservation) Act 1980 with the following conditions:-

1. The conditions imposed by MoEF&CC, GoI in their forest clearance date 21.10.2015 will be complied with by all concerned.
2. This order along with conditions imposed by the Central Government according to stage I and stage II clearance are mandatorily required to be displayed on the website by State Forest Department as well as by MoEF&CC, GoI.
3. The project proponent should publish the entire forest clearances granted in verbatim along with the conditions and safeguards imposed by the Central Government in Forest Clearance in two widely circulated daily newspapers one in vernacular language and the other in English language so as to make people aware of the permission granted to the project proponent for use of forest land for non-forestry purposes.
4. The copies of the Forest clearance should also be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
5. Any other condition as and when imposed by the State Government.

Sd/-
(Yogendra Kumar Dak)
Secretary, Forests

Copy to the following for necessary compliance:-

1. Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Rajasthan, Jaipur.
2. Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Kendriya Bhawan, Lucknow.
3. Sr. Assistant Inspector General of Forests, In-charge, Monitoring Cell, Forest Conservation Division, Ministry of Environment, Forests & Climate Changes, Govt. of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi – 110 003 – with a request to ensure uploading of the order passed by the State Government on the MoEF&CC website.
4. Director, Regional Office (Headquarters), Ministry of Environment, Forests & Climate Changes, Govt.of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi – 110 003.
5. Addl. Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer (FCA), Rajasthan, Jaipur – with a request to get the order and clearances uploaded on the State Forest Department website.
6. Chief Conservator of Forests, IT, Aranya Bhawan, , Jaipur – to ensure the uploading of the order and clearances on the State Forest Department website.
7. Concerned Regional Chief Conservator of Forests, Udaipur.
8. Deputy Conservator of Forest, Rajsamand.
9. Project Director. National Highways Authority of India, A-11. Chander Kiran, RIICO Housing Colony, Beawar, District